

भारत में जाति और धर्म की भूमिका पर बीम राव अम्बेडकर की

अवधारणा का अध्ययन

CANDIDATE NAME = URVASHI KUMARI

DESIGNATION = RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR

GUIDE NAME= DR. NITIN KUMAR

DESIGNATION= PROFESSOR

SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

सारांश

प्रस्तावित अध्ययन इस अर्थ में एकआयामी है कि यह केवल उस समाज की प्रकृति का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके लिए अम्बेडकर खड़े थे। लेकिन एक समाज होने का विचार ही पर्याप्त नहीं हो सकता है जब तक कि इसे प्राप्त करने के एक सुविचारित तरीके का समर्थन नहीं किया जाता है। वास्तव में, यह 'प्रैक्सिस' होने का महत्व है -सिद्धांत और अभ्यास का संयोजन। अम्बेडकर एक सैद्धांतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों थे। बहुत कम मामलों में ऐसा व्यक्तित्व मिल पाता है जो अपने आप में समाहित हो जाता है। एक सिद्धांत विकसित करने के दुर्लभ गुण और इसे लागू करने का एक तरीका प्रदान करना। अमर्त्य सेन ने अपने हालिया प्रकाशन "द आइडिया ऑफ जस्टिस "में न्याय की धारणा से जुड़े कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने जोरदार ढंग से कहा है कि यद्यपि न्याय एक " बेहद फैलता हुआ विचार "है, इसकी खोज" अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली की तलाश में जब बिल्ली नहीं है "की तरह निराशाजनक लग सकती है। जाहिर है, यह निराशावादी लग सकता है; लेकिन वह याद दिलाता है कि एक समाज न्याय की खोज से बच नहीं सकता है, सदियों से दार्शनिकों और राजनीतिक सिद्धांतकारों ने दो तरह से किया है :एक तरीका यह है कि पूरी तरह से न्यायपूर्ण समाज और "पारलौकिक संस्थावाद "की तलाश की जाए जो इसका आधार बन सके " कम या ज्यादा नहीं, बल्कि बिल्कुल न्यायपूर्ण "समाज। ऐसा प्रतीत होता है कि वह न्याय की अवधारणा को संस्थागत रूप देने के विचार से बहुत अधिक चिंतित है क्योंकि केवल दार्शनिक या सैद्धांतिक स्तर पर चर्चा सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्तरीकरण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सकती है। न्याय के सवाल पर उनका अपना दृष्टिकोण अलग है। यह " पारलौकिक के बजाय तुलनात्मक "है। वह जॉन रॉल्स के" द थ्योरी ऑफ जस्टिस "को संदर्भित करता है, यह दिखाने के लिए कि उसने उस अवधारणा का विश्लेषण करने की विधि का पालन नहीं किया है जिसे रॉल्स ने अपने काम में अपनाया है।

मुख्यशब्द:- जाति और धर्म, बीम राव अम्बेडकर, समाज की प्रकृति ,सामाजिक कार्यकर्ता, सुविचारित तरीके

प्रस्तावना

हिन्दू धर्म पूर्ण ब्रह्म की अवधारणा पर आधारित है। असमानता हिंदू धर्म का सिद्धांत है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित वर्ण पर आधारित है। डॉ. अंबेडकर ने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। उन्हें हिंदू धर्म में सच्चाई थी और उन्हें पाखंड से नफरत थी। उनके लिए हरिजन सेवक संघ कांग्रेस की एक शाखा है। सबसे पहले उन्होंने गले लगाने का फैसला किया। हिंदू महासभा के नेताओं का मानना था कि सिख धर्म कोई विदेशी धर्म नहीं है, सिख धर्म हिंदू धर्म की एक संतान है। सिखों और हिंदुओं दोनों को एक-दूसरे से जुड़ने की अनुमति दी गई और सिखों को हिंदू महासभा का सदस्य बनने की अनुमति दी गई। 18 जुलाई, 1936 को डॉ. अम्बेडकर ने राजगृह में डी मुंजे से हिंदू धर्म परिवर्तन के संबंध में बातचीत की।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "हिन्दू धर्म भारत में सामाजिक चिंतन का नवीनतम विकास है।" उनका मानना था कि भारत में बौद्ध धर्म निम्न कारणों से लुप्त हो गया।

- i) ऐशनावैतवाद और शैववाद का उदय।
- ii) भारत में मुस्लिम आक्रमण।

सुल्तान अलाउद्दीन ने बिहार पर आक्रमण किया और 5,000 से अधिक भिक्षुओं को मार डाला। बौद्ध भिक्षु चीन, नेपाल और तिब्बत जैसे पड़ोसी देशों में भाग गए। इसी कारण से 90 प्रतिशत बौद्धों ने बौद्ध धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था। उनके लिए बौद्ध धर्म का पालन करना अन्य धर्मों की तुलना में कठिन है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "मेरा मानना है कि धर्म मानव जाति के लिए आवश्यक है। जब धर्म समाप्त हो जाएगा तो समाज भी नष्ट हो जाएगा। आखिरकार कोई भी सरकार नीति या धर्म की तरह मानव जाति की रक्षा और अनुशासित नहीं कर सकती है" 24 तारीख को एक अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। जनवरी, 1954, बम्बई के जेवियार कॉलेज मैदान पर। उद्घाटन सत्र में डॉ. अम्बेडकर ने संबोधित किया। "धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना और उसे बर्बाद करना आपराधिक है" शीर्षक के तहत अपने लेख में उन्होंने बताया कि मूल रूप से धर्म मनुष्य की आत्मा की व्यक्तिगत मुक्ति का मामला था। हिंदू धर्म में कई धार्मिक गुरु हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग संतान चाहते थे, कुछ सोना चाहते थे, कुछ प्राकृतिक आपदा से बचना चाहते थे और इसी कारण से हिंदू जनता मूर्तियों की पूजा करती थी। भारत में मूर्तिपूजा,

साधु-संत तथा चमत्कार निर्माता के बिना कोई धर्म नहीं है। उनके अनुसार, हिंदू धर्म में कोई नैतिकता नहीं है। धर्म धन इकट्ठा करने का पेशा है। यह धर्म के नाम पर अपराधी है। यह पैसे की बर्बादी है।

दाना परमिता बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित संबंधित मुद्दों पर दाना देने का सुझाव दिया:

- i) अस्पतालों के लिए दाना।
- ii) शिक्षा के लिए दाना।
- iii) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए दाना।
- iv) असहायों और विधवाओं के लिए दाना।
- v) व्यापार या उद्योगों के लिए दाना।

डॉ. अम्बेडकर गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा जतीबा फुले के भक्त और विद्या, स्वाभिमान और चरित्र के उपासक थे। उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की प्रगति के लिए सीखना आवश्यक है। वह हमेशा अपने लोगों के लिए सरकारी सेवाओं की इच्छा रखते थे। उनके लिए, केवल बुद्ध धर्म ही साम्यवाद से बच सकता है। भारत की सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से, अम्बेडकर ने वैश्विक धर्मों की मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या की। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और

सिख धर्म। वह धर्म को मानव आत्माओं की आध्यात्मिक मुक्ति के रूप में नहीं मानते हैं। उनके लिए धर्म मनुष्य-मनुष्य के बीच धार्मिकता स्थापित करने वाला एक सामाजिक सिद्धांत है। धर्म दर्शन से संबंधित उनकी अवधारणा का तात्पर्य धर्मशास्त्र या धर्म से नहीं है। धर्मशास्त्र ईश्वर की प्रकृति, गुणों और कार्यों से संबंधित है। धर्म दिव्य चीजों से संबंधित है। धर्म का अर्थ है "अनन्त ईश्वर में विश्वास" और दुनिया में मामलों का प्रबंधन वह स्वयं करता है। धर्म की मान्यता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। धर्म का अर्थ है "भगवान में विश्वास, आत्मा में विश्वास, भगवान की पूजा, गलती करने वाली आत्मा का इलाज करना, प्रार्थनाओं, समारोहों, बलिदानों आदि द्वारा भगवान को प्रसन्न करना"।

अम्बेडकर की धर्म की व्याख्या

अम्बेडकर का मानना है कि धर्म एक सामाजिक शक्ति है। उनके लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मानव जीवन के महान सिद्धांत हैं। अपने व्यावहारिक अनुभवों से उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों की जांच की और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सामाजिक उपयोगिता और अविभाजित न्याय के लिए हानिकारक है। अंत में, उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके लिए, जाहिर तौर पर धर्म एक

सामाजिक शक्ति है और धर्म मनुष्य और समाज के लिए आवश्यक है। वह एडमंड बर्क से सहमत थे जिन्होंने कहा था, "धर्म समाज की नींव है, वह आधार है जिस पर सभी सच्ची नागरिक सरकार टिकी हुई है, और उनकी मंजूरी भी है"। अम्बेडकर के अनुसार, हिंदू धर्म में बहुत सारी पहेलियाँ या पहेलियाँ हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत गीता, स्मृतियाँ आदि वेद, उपनिषद, रामायण, स्मृतियाँ आदि वेद, मूर्ख और आपस में असुविधाओं से भरे हुए हैं। उन्होंने यह दिखाने के लिए "रिडल्स इन हिंदूइज्म" लिखा कि हिंदू धर्म एक तर्कसंगत या सार्वभौमिक धर्म होने से कितना दूर था। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी-देवता हैं। श्रेष्ठ और निम्न भेद हिंदू धर्म का आदर्श वाक्य है।

हिंदू समाज मूल रूप से चार वर्णों या वर्गों में विभाजित था। वर्ण जन्म के आधार पर बने और चारों वर्णों को चार जातियों के रूप में जाना जाने लगा। अम्बेडकर के विचार में, जाति व्यवस्था एक ही जाति के लोगों का एक सामाजिक विभाजन है और यह न केवल श्रम का विभाजन है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। चतुर्वर्ण के कानून ने शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने, आर्थिक उद्यमों से दूर रहने, और हथियार रखने से रोकने, वेदों को पढ़ने से रोकने आदि पर रोक लगा दी। अम्बेडकर ने अपने व्यावहारिक अनुभवों से जांच की और

जोर देकर कहा कि जाति व्यवस्था मूल रूप से यूजेनिक नहीं है। जाति व्यवस्था का हिंदू धर्म के आचार-विचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जाति व्यवस्था ने जनता की भावना को खत्म कर दिया, जनता की अखंडता और समता की भावना को नष्ट कर दिया। ऊंची जाति के हिंदू शुरु से ही निचली जाति के साथ मेलजोल नहीं रखते थे। हिन्दू समाज की जाति व्यवस्था ने हिन्दू धर्म की मिशनरी भावना को खत्म कर दिया था। अम्बेडकर के अनुसार, जाति एक धारणा है, एक मनःस्थिति है। हिन्दू धर्म के पतन के लिए मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, भगवत गीता आदि हिन्दू शास्त्र जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण हिंदू समाज का बौद्धिक वर्ग है। जाति को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण कभी भी पुजारियों की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करने के आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि हिंदू धर्म से वंशानुगत पुरोहिती प्रथा को नष्ट कर देना चाहिए। हिन्दू का एक ही धर्म होना चाहिए। हिन्दू धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ की स्थापना की जानी चाहिए। पुजारियों को जन्म स्थान से प्रभावित नहीं किया जाएगा, यह एक विस्तृत परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्राप्त करेगा और सबसे अच्छे व्यक्ति को राज्य द्वारा पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। डॉ. अंबेडकर एक स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था में जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी हिंदू पहेलियों को

समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने हिंदू समाज के पुनर्गठन के लिए जाति उन्मूलन का उपदेश दिया।

अम्बेडकर के अनुसार, सच्चे धर्म का मुख्य कार्य व्यक्ति का उत्थान है। सच्चा धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुरूप होगा। हिंदू धर्म ने मनुष्य के इन त्रित्व सिद्धांतों का गुण नहीं सिखाया। मुद्दे के सामाजिक पहलू में अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, लेकिन मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। हिंदुओं के बीच एकता को संगठित करने के लिए वह हिंदू धर्म के पुनर्निर्माण का उपदेश देते हैं। वह अपना हिंदू धर्म बदलकर किसी एक को अपनाना चाहता था और अंततः उसने हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि यह सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, उनके लिए बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित है। बौद्ध धर्म नैतिकता पर आधारित है और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, भगवान के रूप में नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं को देवों का देव होने का दावा करते हैं। ईसा मसीह ने कहा, वह ईश्वर के पुत्र थे और मोहम्मद पैगम्बर ने कहा, वह ईश्वर के अंतिम दूत थे। बुद्ध का धर्म नैतिकता था। ब्राह्मणों के लिए धर्म यज्ञ और भगवान के लिए बलिदान था। भगवान बुद्ध ने कर्म के स्थान पर नैतिकता को धर्म का सार बताया। असमानता हिंदू धर्म का सुसमाचार है

जबकि समानता बौद्ध धर्म का सुसमाचार है। बुद्ध का धर्म नैतिकता है। यह धर्म में निहित है। बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है। ईश्वर के स्थान पर नैतिकता है।

अम्बेडकर की धर्म और धर्म की व्याख्या

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, मनुष्य के धर्मनिरपेक्ष और नैतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए मनुष्य और समाज के लिए धर्म आवश्यक है। ईश्वर धर्म का अनिवार्य तत्व है। अधिकांश मौजूदा धर्म प्रकृति में आस्तिक और आध्यात्मिक हैं। एयू धर्म सच्चे और समान रूप से अच्छे हैं। व्यक्तिगत जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा की मुक्ति (मोक्ष) है। शाश्वत आत्मा अदृश्य एवं अज्ञात है। हिंदू धर्म में मनुष्य से मनुष्य के संबंध में कोई स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नहीं है। भारत में पदानुक्रमित जाति व्यवस्था के लिए हिंदू धर्म जिम्मेदार है। धर्म का मुख्य केन्द्र मानव जाति का लौकिक कल्याण है। हिंदू धर्म में कुछ अनुष्ठान, प्रार्थनाएँ और तीर्थयात्रा और समारोह। डॉ. अम्बेडकर ने दिखाया कि हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक असमानता गहरी जड़ें जमा चुकी है। 'धर्म' शब्द का कोई निश्चित या निश्चित अर्थ नहीं है। यह एक अनिश्चयवाचक शब्द है। इसके कई अर्थ हैं क्योंकि 'धर्म' शब्द कई चरणों से गुजरा है। प्रत्येक चरण में यह पूर्ववर्ती चरणों के कई अर्थों को दर्शाता है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन

होता रहता है। आदिम मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्रकाश, वर्षा और बाढ़ आदि की व्याख्या नहीं कर सके। धीरे-धीरे 'धर्म' शब्द का प्रयोग विश्वासों, अनुष्ठानों, समारोहों, प्रार्थनाओं और बलिदानों के साथ किया जाने लगा। सामाजिक विकास के अगले चरण में ईश्वर की शक्ति के साथ धर्म शब्द आया। हिंदू धर्म का मानना है कि ईश्वर दुनिया का निर्माता है।

बुद्ध धर्म को सादृश्य कहते हैं, लेकिन यूरोपीय धर्मशास्त्री रिलीजन कहते हैं। यूरोपीय धर्मशास्त्रियों ने बुद्ध के धर्म को धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी। धर्म व्यक्तिगत, सामाजिक, मौलिक और आवश्यक है। धर्म धार्मिकता है जिसका अर्थ जीवन के सभी पहलुओं में मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध है। धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। धर्म के बिना समाज में अराजकता और तानाशाही होगी। इस समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा खत्म हो गया है। बुद्ध के अनुसार, धर्म में प्रजा और करुणा शामिल हैं। 'प्रजा' शब्द का अर्थ है अंडरस्टैंड। अतः बुद्ध का धर्म किसी से उधार नहीं लिया गया है। यह सच है। धर्म ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, पूजा, अनुष्ठान, समारोह और बलिदान के अनुरूप है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म में नैतिकता आती है। हर धर्म नैतिकता का उपदेश देता है लेकिन नैतिकता धर्म का मूल

नहीं है। धर्म में नैतिकता की गतिविधियाँ व्यावसायिक और आकस्मिक तथा अप्रभावी हैं। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। धर्म का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है।

धार्मिक परिवर्तन के माध्यम से अस्पृश्यता से मुक्ति

13 अक्टूबर, 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येओला में "कैसे मुक्ति" शीर्षक के तहत अपने लेख में उन्होंने घोषणा की कि "मैं आपको गंभीरता से आश्वासन देता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा"। 1936 में दादर, बम्बई में डॉ. अर्नबेडकर ने एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन बौद्ध धर्म के रूपांतरण से संबंधित था और इसमें धर्मांतरण आंदोलन के लिए दलित वर्गों के समर्थन का आकलन किया गया था। सम्मेलन में लगभग पैंतीस हजार अछूत महार एकत्रित हुए। पंडाल पर कुछ नारे लगे हुए थे।

अछूतों की समस्या जाति-हिन्दुओं और अछूतों के बीच वर्ग-संघर्ष का मामला है। अछूतों द्वारा दूसरों के साथ बराबरी का दावा करना वर्ग-संघर्ष की जड़ है। हिंदू धर्म असमानता की श्रेणी को मान्यता देता है। हिन्दू अन्याय और अत्याचार करते हैं। इस सामाजिक कुरीतियों का विरोध धर्मान्तरण आन्दोलन द्वारा किया गया। उनके लिए धर्म का अर्थ समाज के रख-

रखाव के लिए लगाए गए नियम हैं। समाज का अंतिम लक्ष्य न केवल व्यक्ति की सबसे बड़ी खुशी है, बल्कि एक आदर्श समाज का निर्माण भी है। हिन्दू धर्म में कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं है। उनके लिए, व्यक्तिगत कल्याण और विकास ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है। हिन्दू धर्म किसी व्यक्ति के महत्व को नहीं मानता। डॉ. अम्बेडकर ऐसे धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें केवल एक वर्ग को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, हथियार चलाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार और क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सेवा करने का अधिकार हो। हिन्दू धर्म चतुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। कोई सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता नहीं है। हिन्दू धर्म में सहानुभूति की अवधारणा अनुपस्थित है। हिन्दुओं में आपस में भाईचारे की भावना नहीं है। अछूतों के साथ विदेशियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। सवर्ण हिन्दुओं में अछूतों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे एक दूसरे के भाई नहीं हैं। वे दो विपरीत जातियाँ हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे भाई-भाई हैं। अछूत जनता को छोड़कर, जातीय हिन्दू और मुस्लिम स्थानीय बोर्डों, विधान परिषदों और व्यापार के विभिन्न मामलों में एक-दूसरे के सहायक होते हैं।

हिन्दू धर्म में अछूत जनता को स्वतंत्रता नहीं है। अम्बेडकर के लिए, मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हिन्दू धर्म में किसी को भी बोलने की आजादी नहीं हो सकती। वह मन स्वतंत्र नहीं गुलाम है। असमानता के हास के लिए वेद, स्मृतियाँ जिम्मेदार हैं। हिन्दू समाज में केवल जातिगत हिन्दुओं को ही स्वतंत्रता प्राप्त है। जाति एक मनःस्थिति है। यह मन की बीमारी है। हिन्दू समाज से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय खान-पान और अंतरविवाह पर्याप्त नहीं है। हिन्दू समाज से जाति-पाति और छुआछूत को खत्म करने के लिए धर्म परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है। अछूत जाति के लोग मुस्लिम और ईसाई के रूप में हिन्दू जाति से अलग हैं। अलग जाति के रूप में धर्म परिवर्तन आवश्यक है। धर्म परिवर्तन का मतलब है नाम बदलना। स्वयं को मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या सिख कहना न केवल धार्मिक परिवर्तन है, बल्कि जीवन का परिवर्तन भी है। अछूतों के पास न तो शिक्षा थी, न संपत्ति और न ही हथियार। मनुष्य प्रगति या विकास करने के योग्य हैं जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते। परिवर्तन के बिना अछूतों का सुधार संभव नहीं है। धर्म परिवर्तन जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रवेश द्वार है। 'धर्मांतरण एक प्रकार का पलायनवाद है'। जन सहयोग से ही हिन्दू समाज से जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। अम्बेडकर के लिए, अमेरिकी नीग्रो की स्थितियाँ हमारे अछूतों के समान ही थीं।

कुछ अमेरिकी श्वेत समाज सुधारकों ने निग्रो लोगों की गुलामी से मुक्ति दिलाने की कोशिश की लेकिन भारत के किसी भी समाज सुधारक ने हिंदू समाज से जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश नहीं की। धर्मांतरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, समानता और भाईचारा धार्मिक रूपांतरण और अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाह से प्राप्त किया जा सकता है। समाज से चातुर्वर्ण व्यवस्था को व्यापक धार्मिक रूपांतरण द्वारा हटाया और उखाड़ा जाना चाहिए। हिंदू धर्म मुसलमानों और ईसाइयों के साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन अछूतों के साथ समान व्यवहार को मान्यता नहीं देता है। उनका विचार था कि धर्म परिवर्तन से अछूतों और हिंदुओं दोनों के बीच स्वस्थ संबंध बनेंगे।

डॉ. अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन

14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। 15 अक्टूबर, 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के संबंध में अपना भाषण मराठी में दिया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि 'कोट की जेब में' बहुत सारे समाधान हैं। उन्होंने अपना वादा साबित किया यानी "हालांकि मैं एक हिंदू के

रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा"। उनके लिए, धर्म है मानव जाति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जब वे दिल्ली की कार्यकारी परिषद में सदस्य थे तब उन्होंने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से महिला शिक्षा, छात्रावास आदि से संबंधित दलित वर्गों के लिए वित्तीय सहायता की अपील की। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के सोलह छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। चतुर्वर्ण व्यवस्था मानव के लिए हानिकारक है। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में असमानता के लिए जिम्मेदार है। बौद्ध धर्म में 75 प्रतिशत ब्राह्मण, 25 प्रतिशत शूद्र और अन्य थे। बौद्ध धर्म विभिन्न देशों और जातियों के धर्म को अपनाने का स्वागत करता है। नदियाँ अपने क्षेत्र में अलग-अलग बहती हैं लेकिन जब वे समुद्र में मिलती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं। बौद्ध संघ एक महासागर की तरह है। बौद्ध संघ का मानना है कि सभी समान हैं। गंगा और महानदी के जल में अंतर करना कठिन है। इसी प्रकार, जब हम बुद्ध संघ में शामिल होते हैं, तो हमारी जाति समाप्त हो जाती है और हम समान हो जायेंगे। उनके अनुसार, "दुनिया में कोई भी आदमी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाता जितना मैं उठाता हूँ। अगर मुझे लंबी उम्र मिलेगी, तो मैं अपने नियोजित कार्य को पूरा करूँगा ('डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अमर रहें' के जयकारे)।

अवसादग्रस्त लोगों के लिए धर्म आवश्यक है। आशा जीवन का मूल है। दलित वर्ग आशा पर जीवित है। आशा जीवन का निर्धारक है। धर्म आशा का निर्माता है। वह यह नहीं मानते कि बौद्ध धर्म केवल महारों और मंगों के लिए नहीं है। ब्राह्मण भगवान बुद्ध को 'भो गौतम' अर्थात् 'अरे गौतम' कहकर चिढ़ाते थे। मुसलमानों के आक्रमण से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया और बौद्धों को मुसलमानों ने मार डाला। परिणामस्वरूप, बौद्ध भिक्षु भारत छोड़कर तिब्बत, चीन चले गये। डॉ. अम्बेडकर बौद्ध धर्म को जीवित रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें एहसास था कि बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास करता है। इसमें कोई कलंक नहीं है। हिंदू और ईसाई दोनों धर्म उपदेश देते हैं कि ईश्वर आकाश आदि सभी प्रकृति का निर्माता है। वायु, चंद्रमा, सूर्य आदि। बौद्ध धर्म अलौकिक और अतिमानव में विश्वास नहीं करता। दलित वर्गों की मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म मानव के लिए आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार धर्म है-बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, धर्म अदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, पर्यावसन कल्याणम।

हिंदू धर्म पर अंबेडकर के विचार

भारत में पारसी, ईसाई जैसे कई धर्म हैं। मुसलमान और हिंदू सभी हिंदू एक ईश्वर की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं और कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। जो

हिंदू एकेश्वरवादी हैं वे समान देवताओं के उपासक नहीं हैं। कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई शिव की, कोई राम की, कोई कृष्ण की पूजा करता है। कुछ हिंदू पुरुष देवताओं की पूजा कर रहे हैं। वे एक देवी की भी पूजा करते हैं। वे समान देवियों की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू पुरुष और महिलाएं काली की पूजा करते हैं, कुछ पार्वती की पूजा करते हैं और कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

बहुदेववादी हिंदू सभी देवताओं की पूजा करते हैं। वे विष्णु, शिव, राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। काली, पार्वती, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कुछ हिंदू शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं क्योंकि यह शिव के लिए पवित्र है। एक हिंदू एकादशी के दिन उपवास करेगा क्योंकि यह विष्णु के लिए पवित्र है। उसी प्रकार बेल का पेड़ और तुलसी का पेड़ क्रमशः शिव विष्णु के लिए पवित्र हैं³³। कई हिंदू लोग मुस्लिम पीर या ईसाई देवी की पूजा करते हैं। हजारों हिंदू लोग एक मुस्लिम पीर के पास जाते हैं और कई हिंदू बॉम्बे के पास ईसाई देवी मंट मौली को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। हिंदू समान सामाजिक रीति-रिवाजों, रीति-रिवाजों, विवाहों, जाति व्यवस्था आदि का पालन नहीं करते हैं। हिंदू इस बात का पालन करने में बहुत रुचि रखते हैं कि उनके पड़ोसी क्या मानते हैं और किस प्रकार का भोजन उपयुक्त है आदि। इसलिए, यह सही है कि देखा जाए हिंदुओं के बीच विभिन्न

अनुष्ठान मानदंड और मान्यताएँ। इसलिए, यह पहचानना मुश्किल है कि कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है या फारसी है। दरअसल हिंदू धर्म का कोई निश्चित पंथ नहीं है।

हिंदू धर्म में वेदों की उत्पत्ति को लेकर एक पहली है। वेद हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं। हिंदू दावा करते हैं कि वे सनातन हैं जिसका अर्थ है "सनातन पहले से मौजूद"। अथर्ववेद में हुआ कि "समय से ऋग् छंद उत्पन्न हुए; समय से यजुः उत्पन्न हुए"³⁴ • वेदों की उत्पत्ति के लिए सामवेद और यजुर्वेद में कोई संदर्भ नहीं है। हमने सुतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्रा.लज.मा.त्ला और कौशीतकी ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रजापति ब्रह्मा ने पृथ्वी, वायु और आकाश नामक तीन लोकों की रचना की। उन्होंने तीनों लोकों को गर्म और तपाया। अग्नि (अग्नि), वायु (पवन) और सूर्य (सूर्य) जैसी तीन ज्योतियाँ उत्पन्न हुईं। तपने से तीन वेदों का निर्माण हुआ - ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद - अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद। ऐतरेय और कौशीतकी ब्राह्मण ने एक ही बात बताई। शतपथ ब्राह्मण ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने जल से वेदों की रचना की। उन्होंने वश (वाणी) से जल की रचना की।

निष्कर्ष

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनकी समझ ने उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसरों और मानवीय गरिमा से इनकार के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह धर्म, जाति और अन्य विचारों पर आधारित कृत्रिम रूप से निर्मित बाधाओं से मुक्त एक न्यायपूर्ण और मानवीय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थे। अम्बेडकर ने अपने विचारों को स्पष्ट और निडर तरीके से रखा जिससे उनके कई समकालीनों को नाराजगी और आलोचना का सामना करना पड़ा। उनका दृढ़ विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने उस हिंदू समाज को भी नहीं बखशा जो पुराने रीति-रिवाजों, निरर्थक रीति-रिवाजों और सदियों पुरानी हठधर्मिता से ग्रस्त था। वास्तव में, कोई इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए अम्बेडकर की कार्ययोजना का तात्कालिक कारण मान सकता है। अंबेडकर के विचारों का कोई भी वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन मनुष्य के 'आत्म-विकास' की उनकी अपनी धारणा से शुरू होना चाहिए। यह आवश्यक था क्योंकि इससे व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति पहचानने में मदद मिलेगी। उनका मानना था कि केवल उदार शिक्षा ही सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकती है और बीस साल की उम्र में कोई भी यह दावा कर सकता है, वह लिख

सकता है: "इसलिए, आपका मिशन कम से कम उन लोगों को शिक्षित करना और शिक्षा के विचार का प्रचार करना है जो आपके आस-पास हैं और आपके निकट संपर्क में हूँ।" शायद यही कारण था कि अंबेडकर यह कह सके कि हिंदू समाज की दृढ़ता से संगठित सामाजिक संरचना में, दलित वर्ग के व्यक्तियों के पास शिक्षा की मदद से भी आगे बढ़ने की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं थी। हिंदू सामाजिक संरचना की तुलना एक मीनार से की गई जिसमें कोई सीढ़ी या खिड़की नहीं थी। उनका मानना था कि हिंदू समाज में तीन भाग शामिल हैं: ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण और अछूत। उनके निर्माण तर्क और तर्कों ने रूढ़िवादी भारतीय दिमागों पर एक गंभीर प्रहार किया और उनके वांछित लक्ष्य - एक न्यायपूर्ण और मानव समाज - को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से हिंदू समाज के पुनर्निर्माण के लिए एक मंच तैयार किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

चव्हाण, शेषराव (सं.: भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, विमल पब्लिकटलॉन्स, औरंगाबाद, 1990।

चंद्रा, रमेश; मित्रा, संघ: दलित और विद्रोह की विचारधारा, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003।

चंद्रा, रमेश; मित्रा, संघ: डाली विद्रोह के चरण, कॉमनवेल्थ प्रकाशक, नई दिल्ली, 2003।

चंद्रा, रमेश और मित्रा, संघ: अस्पृश्यता और कानून, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003।

चटर्जी, देबी. : अम्बेडकर और पर्टयार के जाति तुलनात्मक अध्ययन के विरुद्ध, रावत प्रकाशन, जयपुर और नई दिल्ली, 2004।

चंद्रा, रमेश; एवं मित्रा, संघ.: द अंबेडकर एरा, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003।

चंद्रा, रमेश और मित्रा, संघ: भारत में जाति व्यवस्था, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003।

चांचरीक। के.एल. : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (1891-1991): भारतीय संविधान के निर्माण में भूमिका, खंड 2 एच.के. प्रकाशक और वितरक, दिल्ली, 1991।

देव. शांति और वाघ, सी.एम.: डॉ. अम्बेडकर और कन्वर्सन, डॉ. अम्बेडकर पब्लिकेशन सोसाइटी, हैदराबाद, 1965।

डोअग्रे, एम.के.: डॉ. बी.आर. के आर्थिक विचार। अम्बेडकर, अम्बेडकर समाज प्रकाशन, नागपुर, डाहल, रॉबर्ट: मॉडेम पॉलिटिकल एनालिसिस, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली, 1965।

देसाई, ए.आर.: भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे, 1982।

गांधी, एम.के.: एन ऑटोबायोग्राफी: माई एक्सपेरिमेंट विद ड्रुथ, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1966।

धार, पन्नालाल: राष्ट्रीय एकता और भारतीय संविधान, डीप एंड डीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986।

डे, बटक और दासगुप्ता, एस.के.: सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर विवरणिका, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, 1987।

दुआ, आर.पी.: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के जन्म और विकास में सामाजिक कारक, एस. चंद एंड कंपनी, दिल्ली, 1967।

एमिल, सेनार्ट (संस्करण): कास्ट इन इंडिया, डाल्टा बुक सेंटर, बंगलो, दिल्ली, 1977।

गणवीर, रत्नाकर.: विलायतेहुं डॉ. बाबासाहेबांची पात्रे, रत्न मित्र प्रकाशन, नागपुर, 1984.

गजेंद्र गडकर, पी.बी.: हिंदू कोड बिल, कर्नाटक विश्वविद्यालय विस्तार व्याख्यान श्रृंखला संख्या 2, कामता विश्वविद्यालय, धारवाड़, 12 से 13 अप्रैल, 1951।